28/10/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.
वाद पत्र खारिज किया जाता है। पृथक निर्णय
अलग से शामिल किया गया। डिक्री जारी हो।
[illegible] हो।

आदेश सुनाया गया

GCMS
2018/00189

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.28 17:37:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 139 GCMS:-2018/00189 दायर दिनांक : 31.07.2018

पालाराम पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी चक 10 एल.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
2. खुमानाराम } पुत्रगण मोतीराम अकवाम मेघवाल
3. आदूराम } निवासी चक 10 एल.एम. तहसील अनूपगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, अभिभाषक वादी
2. पैरोकार राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 28.10.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 व 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता व प्रतिवादीगण सं. 2–3 के दादा नानूराम पुत्र बींझाराम जाति मेघवाल को चक 7 एन.डब्ल्यू.डी. (चक 7 एन.आर.डी.) के पत्थर नं. 94/318 के किला नं. 6, 7, 12 से 15 = 3.11 बीघा व पत्थर नं. 95/318 के किला नं. 23 से 25 = 2.04 बीघा, कुल 5.15 बीघा रकबा दिनांक 27.12.1978 को आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन सूरतगढ़ द्वारा पुख्ता आवंटन किया गया, जो वन विभाग, नहर व खदान में होने के कारण इसकी एवज में चक 2 एस.पी.डी. के पत्थर नं. 72/327 के किला नं. 1, 2, 8 से 13, 19, 20 = 9.10 बीघा रकबा अन्त्योदय परिवार में आवंटन किया जाकर तबादला दिया गया, लेकिन इस पर प्रभावशाली रायसिख का कब्जा होने से कब्जा नहीं दिया जा सका। उक्त चक 7 एन.डब्ल्यू.डी. (चक 7 एन.आर.डी.) व चक 2 एस.पी.डी. के [illegible] तबादला में चक 14 एल.एम. के पत्थर नं. 1/32 के किला नं. 5, 6, 15 [illegible] बीघा व पत्थर नं.

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.28 17:37:45 IST
Reason: SelfAttested

1/40 के किला नं. 17 से 25 = 9.00 बीघा, कुल 14.00 बीघा रकबा आवंटन किया गया, जिसमें से वादी के पिता व प्रतिवादीगण सं. 2–3 के दादा को चक 14 एल.एम. के पत्थर नं. 1/32 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 = 5.00 बीघा भूमि की श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 29.07.1995 को खातेदारी सनद जारी की गयी, शेष रकबा पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। मौका पर वादी के पिता व प्रतिवादीगण सं. 2–3 के दादा के वारिसों का चक 2 एस.पी.डी. के पत्थर नं. 72/327 के किला नं. 1, 2, 8 से 13, 19, 20 = 9.10 बीघा रकबा पर कब्जा काश्त है। वादी व प्रतिवादीगण सं. 2–3 के पिता/दादा नानूराम व माता/दादी गौरादेवी एवं प्रतिवादीगण सं. 2–3 के पिता मोतीराम का स्वर्गवास हो चुका है, जिनके वादी व प्रतिवादीगण सं. 2–3 जायज वारिसान हैं, इसलिए वादी के पिता व प्रतिवादीगण सं. 2–3 के दादा नानूराम पुत्र बींझाराम को आवंटित रकबा चक 14 एल.एम. के पत्थर नं. 1/40 के किला नं. 17 से 25 = 9.00 बीघा के स्थान पर पूर्व में आवंटित चक 2 एस.पी.डी. के पत्थर नं. 72/327 के किला नं. 1, 2, 8 से 13, 19, 20 = 9.10 बीघा रकबा का जायज वारिसान होने से बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निवेदन किया एवं साथ ही निवेदन किया कि इस रकबा से प्रतिवादी सं. 1 ना तो वादी व प्रतिवादीगण को बेदखल करें व ना ही किसी अन्य को आवंटन करें।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 को साधारण व रजिस्टर्ड सम्मन द्वारा तलब किये जाने व बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध दिनांक 05.05.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये व निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि जैरवाद रकबा वादी के पिता नानूराम पुत्र बींझाराम को चक 7 एन.डब्ल्यू.डी. (चक 7 एन.आर.डी.) के पत्थर नं. 94/318, 95/318 में 5.15 बीघा भूमि दिनांक [illegible] हुआ है जिसका जो रकबा वन विभाग व खराब होने के कारण [illegible] चक 2 एस.पी.डी. के पत्थर नं. 72/327 में 9.10 बीघा आवंटन [illegible] तबादला दिया गया। जिस पर

क्रमशः ..... पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.28 17:37:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

अन्य का कब्जा होने के कारण तबादला में चक 14 एल.एम. के पत्थर नं. 1/32, 1/40 में 14.00 बीघा भूमि आवंटन किया गया जिसकी 4.50 बीघा भूमि की खातेदारी सनद दिनांक 29.07.1995 को जारी हो चुकी है। शेष 9.00 बीघा बाबत किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया। (वादी)

2. आया कि जैरवाद रकबा वाके चक 2 एस.पी.डी. के पत्थर नं. 72/327 के किला नं. 1, 2, 8 ता 13, 19, 20 में 9.10 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है। (वादी)

3. आया कि जैरवाद रकबा चक 2 एस.पी.डी. के पत्थर नं. 72/327 के किला नं. 1, 2, 8 ता 13, 19, 20 में 9.10 बीघा पर शुद्ध रकबा राज है। (वादी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात् साक्ष्य लिये गये। साक्ष्य में वादी ने स्वयं का बयान शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिरह शून्य रही। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये जाकर बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी चक 2 एस.पी.डी. पत्थर नं. 72/327 की प्रमाणित प्रति, मूल आवंटन पत्रावली नानूराम पुत्र रिमझाराम मि.नं. 351 दिनांक 01.12.1978 की प्रमाणित प्रति, मृत्यु प्रमाण-पत्र नानूराम पुत्र रिमझाराम, गौरादेवी पत्नी नानूराम की चित्रप्रतियों की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन किया कि वादी के पिता व प्रतिवादीगण सं. 2-3 के दादा नानूराम पुत्र बींझाराम को आवंटित रकबा चक 14 एल.एम. के पत्थर नं. 1/40 के किला नं. 17 से 25 = 9.00 बीघा के स्थान पर पूर्व में आवंटित चक 2 एस.पी.डी. के पत्थर नं. 72/327 के किला नं. 1, 2, 8 से 13, 19, 20 = 9.10 बीघा रकबा का जायज वारिसान होने से बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित किये जाने की प्रार्थना की। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

पक्षकारान की बहस का श्रवण करने के उपरान्त बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का गहन पठन व मनन किया गया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.28 17:37:45 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(139/2018 पालाराम बनाम सरकार व खुमानाराम आदि)

तनकी नं. (1) – आया कि जैरवाद रकबा वादी के पिता नानूराम पुत्र बींझाराम को चक 7 एन.डब्ल्यू.डी. (चक 7 एन.आर.डी.) के पत्थर नं. 94/318, 95/318 में 5.15 बीघा भूमि दिनांक 27.12.1978 को आवंटन हुआ है जिसका जो रकबा वन विभाग व खराब होने के कारण वादी के पिता चक 2 एस.पी.डी. के पत्थर नं. 72/327 में 9.10 बीघा आवंटन किया व तबादला दिया गया। जिस पर अन्य का कब्जा होने के कारण तबादला में चक 14 एल.एम. के पत्थर नं. 1/32, 1/40 में 14.00 बीघा भूमि आवंटन किया गया जिसकी 4.50 बीघा भूमि की खातेदारी सनद दिनांक 29.07.1995 को जारी हो चुकी है। शेष 9.00 बीघा बाबत किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया। (वादी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। पत्रावली में उपलब्ध मुताबिक मूल आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति वादी के पिता नानूराम को चक 7 एन.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नं. 94/318, 95/318 में 5.15 बीघा रकबा दिनांक 27.12.1978 को आवंटन हुआ है जिसका जो रकबा वन विभाग, नहर व खदान आदि में अवाप्त होने के कारण तबादले में वादी के पिता को चक 2 एस.पी.डी. के पत्थर नं. 72/327 में 9.10 बीघा रकबा आवंटन किया गया, जिस पर अन्य का कब्जा होने के कारण, इस आवंटन को निरस्त कर दिनांक 03.10.1983 को चक 14 एल.एम. के पत्थर नं. 1/32, 1/40 में 14.00 बीघा रकबा आवंटन किया गया। आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 04.10.1983 को पूर्व आदेश दिनांक 03.10.1983 को रिव्यू कर चक 14 एल.एम. के पत्थर नं. 1/32 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 का 5 बीघा कमाण्ड रकबा यथावत रखा गया व पत्थर नं. 1/40 का 9.00 बीघा रकबा निरस्त कर रकबा राज घोषित कर दिया गया। चक 14 एल.एम. के पत्थर नं. 1/32 के 5.00 बीघा रकबा की खातेदारी सनद दिनांक 29.07.1995 को जारी की जा चुकी है। वादी यह तथ्य सिद्ध नहीं कर पाया कि चक 14 एल.एम. के शेष 9.00 बीघा की बाबत किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया, जबकि मुताबिक आवंटन पत्रावली चक 14 एल. एम. के पत्थर नं. 1/40 का 9.00 बी[illegible] निरस्त कर रकबा राज घोषित कर दिया गया, जो कि [illegible] को सिद्ध करने में विफल रहा है, इसलिए [illegible] वादी निर्णय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.28 17:37:45 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी नं. (2) – आया कि जैरवाद रकबा वाके चक 2 एस.पी.डी. के पत्थर नं. 72/327 के किला नं. 1, 2, 8 ता 13, 19, 20 में 9.10 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है। (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। वादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। वादी ने वाद एवं साक्ष्य में प्रस्तुत स्वयं के शपथ–पत्र में यह अंकित किया है कि चक 2 एस.पी.डी. के पत्थर नं. 72/327 के किला नं. 1, 2, 8 ता 13, 19, 20 में कुल 9.10 बीघा रकबा पर प्रभावशाली रायसिख का कब्जा है। वादी इस तनकी को सिद्ध करने में असफल रहा है, इसलिए यह तनकी नं. 2 विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

तनकी नं. (3) – आया कि जैरवाद रकबा चक 2 एस.पी.डी. के पत्थर नं. 72/327 के किला नं. 1, 2, 8 ता 13, 19, 20 में 9.10 बीघा पर शुद्ध रकबा राज है। (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। वादी ने वाद के साथ चक 2 एस.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 खाता सं. 1 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें चक 2 एस.पी.डी. के पत्थर नं. 72/327 के किला नं. 1, 2, 8 ता 13, 19, 20 की भूमि रकबा राज अंकित है, लेकिन वादी ने वाद व अपने शपथ–पत्र में यह भी अंकित किया है कि चक 2 एस.पी.डी. के पत्थर नं. 72/327 के किला नं. 1, 2, 8 ता 13, 19, 20 में कुल 9.10 बीघा रकबा पर प्रभावशाली रायसिख का कब्जा है। वादी इस तनकी को सिद्ध करने में असफल रहा है, इसलिए यह तनकी नं. 3 विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 1 से 3 विरुद्ध वादी निर्णय की जा चुकी है। तनकी नं. 1 व 2, जो कि वाद का आधार है, को वादी सिद्ध करने में विफल रहा है एवं विरुद्ध वादी निर्णय की जा चुकी है। वादी ने वादी के पिता व प्रतिवादीगण सं. 2–3 के दादा नानूराम पुत्र बींझाराम को आवंटित रकबा चक 14 एल.एम. के पत्थर नं. 1/40 के किला नं. 17 से 25 = 9[illegible] के स्थान पर पूर्व में आवंटित चक 2 एस.पी.डी. के पत्थर नं. 72/327 के किला नं. 1, 2, 8 से 13, 19, 20

क्रमशः ..... पेज 6 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.28 17:37:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

= 9.10 बीघा रकबा का जायज वारिसान होने से बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित करवाना चाहा है, जबकि पत्रावली में प्रस्तुत मूल आवंटन की प्रमाणित प्रति अनुसार आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 03.10.1983 को वादी के पिता को पूर्व में आवंटित चक 2 एस.पी.डी. के पत्थर नं. 72/327 के किला नं. 1, 2, 8 से 13, 19, 20 में 9.10 बीघा रकबा निरस्त कर, चक 14 एल.एम. के पत्थर नं. 1/32, 1/40 में 14.00 बीघा रकबा आवंटन किया गया था, लेकिन आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 04.10.1983 को पूर्व आदेश दिनांक 03.10.1983 को रिव्यू कर, उक्त 14 बीघा का आवंटन पात्रता से अधिक मानते हुए, चक 14 एल.एम. के पत्थर नं. 1/32 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 का 5 बीघा कमाण्ड रकबा यथावत रखा गया व पत्थर नं. 1/40 का 9.00 बीघा रकबा निरस्त कर रकबा राज घोषित कर दिया गया, जो कि अन्तिम आदेश है। चक 14 एल.एम. के पत्थर नं. 1/32 के 5.00 बीघा रकबा की खातेदारी सनद दिनांक 29.07.1995 को जारी की जा चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद किसी ठोस आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए वाद वादी आधारहीन होने से निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.28 17:37:45 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास – **सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.**

अनवान :–

पालाराम पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी चक 10 एल.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादी

बनाम

1. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़**
2. **खुमानाराम** } **पुत्रगण मोतीराम अकवाम मेघवाल**
3. **आदूराम** } **निवासी चक 10 एल.एम. तहसील अनूपगढ़**

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 139 वर्ष 2018 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×.......... बाबत ....×........... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............. फसदों की पालना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 20.10.2024 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.28 17:37:45 IST
Reason: SelfAttested